

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि. विभाग उप खण्ड-अमरसर (जयपुर)

S. No. 125

दिनांक: 02.08.2022

सेवामें,

श्रीमान् उप वनसंरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

विषय :- Diversion of 1.4445 Ha. in favour of Public Works Department, Shahpura, Jaipur for Construction of Road Widening & Strengthening of Manoharpur to ItwaBhopji Via NawalpuraCharanwas (MDR-187) District -Jaipur (Rajasthan)" Proposal No.FP/RJ/ROAD/35096/2018 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ () FCA/उवसंजउ/2022-23/7937 दिनांक 13.06.2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्थित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव संख्या Proposal No.FP/RJ/ROAD/35096/2018 में आपके पत्र क्रमांक: एफ () FCA/उवसंजउ/2022-23/7937 दिनांक 13.06.2022 द्वारा कुछ कमियां बताई गई है, जिनकी पूर्ति कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	कार्यालय जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक 8264 दिनांक 17.08.2021 में वर्णित व आपके कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक : अ.अ./सा.नि./शाह./डी. 2167 दिनांक 27.10.20 के संलग्न कर भिजवाई गयी हल्का पटवारी कि रिपोर्ट में मामटोरी खुर्द का कुल रकबा 0.2790 है0 एवं आपके कार्यालय के पत्रांक 464 दिनांक 02.11.2021 के संलग्न कर भिजवाये गये "Statement showing details of forest area proposed for diversion" के अनुसार ग्राम मामटोरी खुर्द का कुल रकबा 0.2727 है0 है। जिसे अभी संशोधित नहीं किया गया है।	संशोधित कर दिया गया है।
2.	कार्यालय जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक 8264 दिनांक 17.08.2021 में वर्णित व आपके कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक : अ.अ./सा.नि./शाह./डी. 2167 दिनांक 27.10.20 के संलग्न कर भिजवाई गयी हल्का पटवारी कि रिपोर्ट में मामटोरी खुर्द का कुल रकबा 1.1655 है0 एवं आपके कार्यालय के पत्रांक 464 दिनांक 02.11.2021 के संलग्न कर भिजवाये गये "Statement showing details of forest area proposed for diversion" के अनुसार ग्राम मामटोरी खुर्द का कुल रकबा 1.1718 है0 है, कि स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं की गई हैं।	संशोधित कर दिया गया है।
3.	आपके द्वारा जमा कराये गये नक्शों में ग्राम मामटोरी खुर्द में सुपर इम्पोज खसरा नं० 2 व 3 में सही कर दिया गया है, किन्तु ग्राम मामटोरी कलां में सुपर इम्पोज में वन भूमि का रकबा (पूर्व में जमा कराये गये नक्शों से) कम कर दिया गया है। जिसे सही किया जाना प्रस्तावित हैं।	संशोधित कर दिया गया है।
4.	प्रस्तावित वन भूमि के बदले दी गई समतुल्य गैर वन भूमि का जी० टी० शीट पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसी के०एम०एल० फाईल व जी०पी०एस० कॉर्डिनेट इत्यादि दस्तावेज आप द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उक्त भूमि को मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाहपुरा को संभलवाया जाना है। ताकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का Estimate बनाया जा सके।	उक्त भूमि को मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाहपुरा को संभला दिया गया।


सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उपखण्ड-अमरसर (जयपुर)